रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062025-263776
CG-DL-E-13062025-263776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2515] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947
No. 2515] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 2025

का.आ. 2579(अ).—जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, और भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से, मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. (1) इस आदेश को मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।

   (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 में, पैराग्राफ 1 में–

(क) उप-पैराग्राफ (2) में, "सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात" शब्दों के स्थान पर, "1 सितम्बर, 2026 को" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-पैराग्राफ (3), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) यह 1 सितंबर, 2026 से इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध मशीनों और विद्युत उपकरणों पर लागू होगा:

बशर्ते कि इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध असेंबलियों, उप-असेंबलियों और घटकों पर उस तारीख से लागू होंगे, जिस तारीख से इसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 9/28/2019- एचईएंडएमटी]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सां.आ. 3649(अ.), दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 12th June, 2025

S.O. 2579(E).—Whereas In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, and in consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to amend the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024, namely: -

1. (1) This Order may be called the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Amendment Order, 2025.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024, in paragraph 1, —

   (a) in sub-paragraph (2), for the words "after one year from the date of its publication in the Official Gazette", the words, figures and letters "on the 1st September, 2026" shall be substituted;

   (b) For sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

   "(3) It shall apply to machines and electrical equipment listed in the first Schedule annexed to this Order from the 1st September, 2026:

   Provided that the assemblies, sub-assemblies and components listed in the first Schedule annexed to this Order shall apply from such date as may be notified by the Central Government in the Official Gazette".

[F. No. 9/28/2019-HE&MT]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3649(E), dated the 28th August, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.13 14:17:29 +05'30'